Tender Cost
By Cash/download Rs.500/-

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान
(आयुष मंत्रालय, भारत सरकार)
माधव विलास पैलेस, आमेर रोड़, जयपुर-302002

फर्म का नाम एवं पता ....
....
मो. नंबर ....
E-Mail ID ....

<u>निविदा प्रपत्र</u>

1. विषय : निविदा जिस कार्य/वस्तु के लिये दिया जा रहा है
उसका नाम : **<u>Contract of Bus/Mini Bus/Swift Dzire, Innova Crysta, Etios/Innova Altis/Tampo Etc. A.C./Non A.C.</u>**
2. निविदादाता का पूरा नाम : ....
3. प्रेषित अधिकारी/कार्यालय का नाम : निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
4. निविदा शुल्क के .... रूपये संस्थान रसीद नं./डी.डी. नं. ....दिनांक .... के द्वारा जमा करा दिये गये हैं ।
5. धरोहर राशि ....रूपये डी.डी. नं. ....दिनांक ..../ नगद रशीद संख्या...........दिनांक...........के द्वारा निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर में जमा कर दी है ।
6. सभी संलग्न कुल............दस्तावेज पृष्ठ संख्या.........से........तक अंकित है एवं स्वहस्ताक्षर सहित है ।
7. मैं/हम निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तो को स्वीकार करते है और इससे बाध्य रहेगें ।

निविदादाता के हस्ताक्षर
(मय रबड़ स्टाम्प)

स्थानः
दिनांक :

फर्म का नाम...........................
(मय रबड़ स्टाम्प)

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
भारत सरकार द्वारा संस्थापित)
माधव विलास पैलेस, आमेर रोड़,
जयपुर-302002 (राजस्थान)

निविदा शर्ते

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, भारत सरकार आयुष मंत्रालय नई दिल्ली के अधीन है जो आयुर्वेद को आगे बढाये जाने एवं उसका विकास करने के लिए विशिष्ट योग्यताधारी अध्यापकों, वैद्यूयों के माध्यम से विद्यार्थियों को अध्ययन-अध्यापन, शोध कार्य करवाये जाने के साथ आयुर्वेद पद्‌दती से बिमारियों का ईलाज करता है, जो निम्नलिखितानुसार Contract of Bus/Mini Bus/Swift Dzire,Innova Crysta, Etios/Innova Altis/Tampo A.C./Non-A.C. के लिए बाजार में कार्यरत फर्मो से सम्पूर्ण विवरण सहित ई-निविदा सीपीपी पोर्टल की वेबसाईट https://eprocure.gov.in/eprocure/app एवं संस्थान की वेबसाईट www.nia.nic.in से डाउनलोड कर सीपीपी पोर्टल की वेबसाईट https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर भरा जावेगा।

क.सं.	नाम वस्तु	निविदा अनुमानित लागत	धरोहर राशि
1	Contract of Bus/Mini Bus/Swift Dzire,Innova Crysta,Etios/Innova Altis/Tampo Etc. A.C./Non A.C.	15,00,000/-	30,000/-

1. निविदादाता द्वारा सी.पी.पी. पोर्टल पर निविदा निम्नलिखित प्रकार से भरी जायेगी -

क्र.सं.	विवरण	तिथि एवं समय
1.	निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर भरने की प्रांरभ तिथि एवं समय (https://eprocure.gov.in/eprocure/app)	11.4.2020 18.00 PM बजे से
2.	निविदा ऑनलाईन भरने की अंतिम तिथि एंव समय (https://eprocure.gov.in/eprocure/app)	11-05-2020 11:00 AM बजे तक
3.	निविदा शुल्क तथा धरोहर राशि का डी.डी. संस्थान में जमा करने की अंतिम तिथि	11-05-2020 11:00 AM बजे तक
4.	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	12-05-2020 12:00 AM बजे

2. निविदादाता को धरोहर राशि 30,000/- का बैंक ड्राफ्ट निदेशक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, आमेर रोड़, जोरावरसिंह गेट जयपुर-302002 (राजस्थान) के नाम प्रेषित करना अनिवार्य होगा, चैक व एफ.डी.आर. मान्य नहीं होगी तथा अपर्याप्त धरोहर राशि के अभाव में प्रारम्भिक रूप से ही निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
3. निविदा फार्म सीपीपी पोर्टल की वेबसाईट https://eprocure.gov.in/eprocure/app एवं संस्थान की वेबसाईट www.nia.nic.in से डाउनलोड कर सीपीपी पोर्टल की वेबसाईट https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर भरा जावेगा। वेबसाईट से डाउनलोड किये गये निविदा फार्म शुल्क राशि 500/- का डी.डी. निदेशक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के नाम बनाया जाकर धरोहर राशि के साथ जमा करवाना अनिवार्य होगा। निविदा शुल्क वापस नहीं दिया जावेगा तथा निविदा भरने की अन्तिम तिथि दिनांक 11.05.2020 को 11.00 बजे तक रहेगी ।
4. निविदा की फाईनेन्सियल एवं टेक्नीकल बिड पृथक्-पृथक् होगी। फाईनेन्सियल बिड में आमंत्रित की गई निविदा की दरें होगी तथा टेक्नीकल बिड में निविदा में चाहे गये वांछित दस्तावेज होगें।

5. निविदादाता द्वारा टेक्नीकल बिड में फर्म का रजिस्ट्रेशन, उद्योग आधार, जीएसटी चुकता प्रमाण पत्र, आयकर चुकता प्रमाण पत्र, फर्म को ब्लेकलिट ना होने का शपथ पत्र, निर्माता, अनुज्ञाधारी डीलर तथा विगत तीन वर्षो का फर्म का टर्नओवर, फर्म का कार्य अनुभव, फर्म का सरकारी कार्यालयों में कार्य का अनुभव तथा गाड़ीयों का रजिस्ट्रेशन (RC), गाड़ीयों के इंश्योरेंस दस्तावेज, RTO क्लीयरेंस का दस्तावेज, Road Tax Paid, गाड़ी का प्रदूषण व फिटनेस प्रमाण पत्र एवं चालक का हैवी लाईसेंस इत्यादि से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें ।
6. निविदादाता द्वारा दरें निर्धारित निविदा प्रपत्र में अंकों एवं शब्दों में भरनी होगी । निविदा में दरें डेसीमल में मान्य नहीं होगी तथा अंको एवं शब्दों में लिखी दरों में भिन्नता होने पर शब्दों में लिखी दरें मान्य होगी।
7. प्राप्त निविदा की पहले टेक्नीकल बिड संस्थान क्रय समिति के समक्ष दिनांक 12.5.2020 को 12:00 AM बजे खोली जावेगी । टेक्नीकल बिड में सफल निविदादाताओं की ही फाईनेन्सियल बिड खोली जावेगी तथा असफल निविदादाताओं की धरोहर राशि टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् लौटा दी जावेगी।
8. फाईनेन्सियल बिड में सफल निविदाओं द्वारा निविदा में स्वीकृत दरों के मूल्य का 5 प्रतिशत सिक्यूरिटी राशि का डी.डी. एवं 500/-के नॉनज्यूडिशियल स्टैम्प पैपर पर निविदा में निर्धारित अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करना होगा उसके बाद ही कॉन्ट्रेक्ट आदेश दिया जावेगा। असफल निविदादाताओं की धरोहर राशि टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् लौटा दी जावेगी।
9. सफल निविदादाताओं द्वारा आदेश में अंकित दरों के अन्तर्गत कार्य करना होगा । आदेशित कार्य न करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी । वाहन से सम्बन्धित पार्किंग, रोड टेक्स, टोल टेक्स (फास्टैग से देय होगा), एवं स्थाई/अस्थाई टी.पी. शुल्क एवं अन्य समस्त प्रकार के देय कर आदि वाहन स्वामी/निविदादाता का होगा, संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार का कोई शुल्क देय नही होगा । मीनी बस आवश्यकतानुसार सीटर ही उपयोग में ली जायेगी शिविर प्रभारी द्वारा इसकी जांच की जायेगी, इसी की दर निविदादाता को अंकित करनी होगी, इसके उपलब्ध नही होने या कम की स्थिति में यदि निविदादाता कोई अन्य वाहन स्वीकृत सीटर से अधिक उपलब्ध करवाता है, तो संस्थान द्वारा कोई अतिरिक्त चार्ज देय नही होगा तथा स्वीकृत सीटर से कम सीटर उपलब्ध करवाने पर सीटर के हिसाब से नियमानुसार दर पर बिल राशि में से काटकर भुगतान किया जायेगा।
10. निविदादाता द्वारा अपनी दरे शब्दों में तथा अंको में स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिये । इसमें किसी प्रकार की कांट छांट स्वीकार्य नही होगी । शब्दो तथा अंको में दी गई दरों में अन्तर होने पर शब्दो में अंकित दरें मान्य होगी ।
11. वाहन सुव्यवस्थित एवं उसकी सीटे आरामदायक होनी चाहिये ।
12. वाहन चालक को निर्धारित यूनिफॉर्म पहनकर ही वाहन चलाना होगा तथा वाहन चालक द्वारा शराब या किसी अन्य मादक पदार्थ का सेवन करके वाहन चलाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।
13. यदि विशेष परिस्थितिवश कार्यक्रम स्थगित / निरस्त किया जाता है तो संस्थान द्वारा वास्तविक किलोमीटर (जयपुर मुख्यालय से संस्थान एवं वापस मुख्यालय तक) का ही व्यय देय होगा ।
14. शिविर/यात्रा पर प्रस्थान एवं वापसी लौटने तक का प्रभारी अधिकारी से वाहन के द्वारा की गयी यात्रा का प्रमाणीकरण करवाया जाना आवश्यक होगा, इसके अभाव में बिल का भुगतान करना संभव नही होगा ।

15. शिविर /यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्ववाहन से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज अर्थात वाहन चालक का लाईसेन्स, R.C., इंश्योरेन्स, वाहन फिटनेश, परमिट, प्रदूषण सर्टिफिकेट इत्यादि पूर्ण होने चाहिये इन अपेक्षित दस्तावेजो की छाया प्रति शिविर समन्वयक प्रभारी अधिकारी एवं अन्य प्रभारी अधिकारी, रा.आ.सं. जयपुर को जमा करवानी होगी। यदि यात्रा के दौरान कोई कठिनाई/परेशानी उत्पन्न होती है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी वाहन स्वामी/ निविदादाता की होगी ।

16. वाहन चालक / परिचालक व्यवहारिक अनुशासित होना चाहिये, यदि चालक / परिचालक के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसका समस्त उतरदायित्व निविदादाता का होगा ।

17. संस्थान द्वारा आवश्यकता पड़ने पर वाहन की मांग करने पर निविदादाता द्वारा वाहन उपलब्ध नही करवाने की स्थिति में संस्थान द्वारा अन्य वाहन ले जाने पर उसकी अन्तर राशि एवं संस्थान द्वारा निर्धारित पैनल्टी राशि निविदादाता से वसूल की जायेगी।

18. निविदादाता फर्म द्वारा उपलब्ध कराया गया वाहन यदि रास्ते में कही खराब हो जाता है तो उक्त फर्म द्वारा दूसरा वाहन तुरन्त उपलब्ध करवाया जायेगा। दूसरा वाहन उपलब्ध नही करवाने की स्थिति में पैनल्टी व संस्थान द्वारा दूसरे वाहन से गंतव्य स्थान तक पहुँचने पर व्यय किया गया कुल खर्चा निविदादाता फर्म से वसूल किया जायेगा।

19. फर्म द्वारा शिविरों के आयोजन पर भेजे जाने वाले A.C. वाहन में A.C. की परिभाषा स्पष्ट दर्शायी जानी चाहिये अर्थात गर्मी व वर्षा के मौसम में ठण्डी हवा Aircool तथा ठण्डे मौसम में गर्म हवा Warmer होना चाहिये।

20. वाहन संस्थान से रवाना होने के बाद एक दिन में न्यूनतम 250 किलोमीटर प्रति दिनांक तक का चार्ज देय होगा ।

21. वाहन संस्थान से रवाना होकर जिले तक पहुंचने तक यदि सुबह के 4-5 बजे तक पहुंचता है तो उस दिन का रात्रि शुल्क देय नही होगा तथा वापसी में जिले से संस्थान तक यदि सुबह के 4-5 बजे तक पहुंचती है तो उस दिन का रात्रि शुल्क देय नही होगा।

22. निविदादाता फर्म के किन्ही दो सरकारी कार्यालयों में दो वर्ष का गाडीयाँ चलाने का कान्ट्रेक्ट होना आवश्यक होगा ।

23. निविदादाता फर्म को कान्ट्रेक्ट दिये जाने पर रात्रि विश्राम के चार्जेज की गणना रात्रि 11.00 बजे पश्चात से की जावेगी ।

24. यात्रा के दौरान वाहन में किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी होने पर मरम्मत आदि का व्यय वाहन स्वामी / निविदादाता का होगा, संस्थान द्वारा किसी प्रकार का भुगतान नही किया जायेगा ।

25. वाहनों के कुल यात्रा किलोमिटर एवं मीनीमम किलोमिटर जो भी अधिक होगा भुगतान योग्य होगा ।

26. अनुबन्ध की अवधि अनुबन्ध की दिनांक से 1 वर्ष के लिये मान्य होगी । यह अवधि अनुबन्ध के पूर्ण होने के पश्चात भी आवश्यक होने पर एवं संस्थान द्वारा पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर अधिकतम 1 वर्ष के लिये (आपसी सहमति द्वारा) पुरानी दरों पर बढाई जा सकती है, जो कि निविदादाता को मान्य होगा । जिसके लिये 500/- रूपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा ।

27. फर्म द्वारा सन्तोषप्रद कार्य नहीं करने पर कॉन्ट्रेक्ट निरस्त किया जा सकता है।

28. सम्बन्धित फर्म को शपथ-पत्र देना होगा कि फर्म को किसी भी केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार एवं इसकी स्वायत्त संस्था द्वारा अयोग्य (Black Listed) घोषित नहीं किया गया है।

29. निविदादाता को नियमानुसार GST/TAX/ अन्य सरकारी कर अतिरिक्त रूप से देय होगा।

30. निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकृत / अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर को होगा ।
31. निदेशक महोदय का निर्णय अंतिम रूप से सभी को मान्य होगा ।
32. निविदा खुलने के बाद निविदादाता द्वारा शर्तो में कोई परिवर्तन किया जाता है तो संस्थान को अमानत एवं सिक्यूरिटी राशि जप्त करने का अधिकार होगा तथा फर्म पर जीएफआर अनुसार कार्यवाही की जावेगी। फर्म की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।
33. न्यूनतम दर होने के आधार पर कॉन्ट्रेक्ट करने के लिये या दर स्वीकृत करने के लिये संस्थान बाध्य नही होगा। यदि न्यनूतम दर एक से अधिक फर्मो की आती है, तो ऐसी स्थिति में फर्मो का विगत तीन वर्ष का टर्नओवर, कार्य अनुभव, तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों एवं सरकारी उपक्रमों में कार्य करने का अनुभव जिसका अधिक एवं कार्य प्रफोरमेन्स जिसकी जितनी अच्छी होगी मूल्यांकन किया जाकर न्यूनतम दर तय की जावेगी।
34. प्राप्त निविदा को किसी भी समय, बिना सूचना के पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत या रद्द करने का अधिकार संस्थान निदेशक को होगा ।
35. निविदा में स्वीकृत दर की प्रभावशीलता समाप्त होने एवं दिये गये कार्य की अवधि पूर्ण होने पर सिक्यूरिटी राशि लौटा दी जायेगी।
36. फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को लिखित में निविदादाता द्वारा दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले के सदस्य/सदस्यों को मुक्त नहीं किया जाएगा।
37. संविदा के सम्बन्ध में फर्म के किसी भी भागीदार/भागीदारों को निविदादाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए लिखित रूप से बाध्य नहीं हो जाते एवं निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को इस सम्बन्ध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते।
38. सभी विवादों के निपटारें हेतु न्याय क्षेत्र जयपुर होगा ।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

मैनें /हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढकर अच्छी तरह समझ लिया हैं तथा समस्त शर्तो की पालना हेतु बाध्य हूँ/हैं ।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
(निविदा की समस्त शर्ते स्वीकार करने के प्रमाण-स्वरूप)

टेक्नीकल बिड फॉर्म

क्र सं	चाहे गये दस्तावेज	पृष्ठ संख्या
01	फर्म का रजिस्ट्रेशन पत्र	
02	उद्योग आधार प्रमाण पत्र	
03	जीएसटी चुकता प्रमाण पत्र	
04	आयकर चुकता प्रमाण पत्र	
05	फर्म को ब्लेकलिस्ट ना होने का शपथ पत्र	
06	निर्माता होने का प्रमाण पत्र	
07	अनुज्ञाधारी डीलर होने का प्रमाण पत्र	
08	फर्म का टर्नओवर के दस्तावेज	
09	फर्म का कार्यअनुभव दस्तावेज	
10	सरकारी कार्यालयों में कार्यअनुभव दस्तावेज	
11.	गाड़ीयों का रजिस्ट्रेशन (RC)	
12.	गाड़ीयों का इन्शोरेन्स का दस्तावेज	
13	RTO Clearance का दस्तावेज	
14	Road Tax paid का दस्तावेज	
15	गाडी फिटनेस का दस्तावेज	
16	वाहन चालक का हेवी लाईसेन्स का दस्तावेज	
17	PUC का दस्तावेज	

निविदादाता के हस्ताक्षर

फर्म की मोहर सहित